

कार्यालय निदेशक मैकेडरी शिक्षा हरियाणा चण्डीगढ़  
आदेश क्रमांक : 23/252-2000-1111 दिनांक चण्डीगढ़ :- 2-3-2001

गाम्भूष्याल शिक्षा सदन, बान्णडा सोनीपत को दसवीं स्तर तक की स्थाई मान्यता दिनांक 1-4-2000 से निम्न शर्तों पर प्रदान की जाती है :-

- 1- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल को अपने ही साधनों से चलायेंगे और ग्रांट इत्यादि की मांग नहीं करेंगे।
- 2- विद्यालय निदेशालय द्वारा समय-2 पर जारी की जाने वाली हिदायतों की पालना करेगा।
- 3- विद्यालय हरियाणा शिक्षा कोड की धारा-159 तथा 214 से 239 तक की सभी शर्तों की पूर्ण रूप से पालना करेगा।
- 4- विद्यालय हरियाणा/ शिक्षा एक्ट 1995 की धारा-4 की सभी शर्तों को पूर्ण करेगा तथा इसके जो नियम होंगे उनकी विद्यालय पालना करेगा।
- 5- अध्यापकों को वेतन ग्रास बैंक द्वारा दिया जाये।
- 6- नियुक्ति में आरक्षण क्वॉटि का ध्यान रखेगा।
- 7- विद्यालय शोषा 2600/- रुपये प्लैज राशि के रूप में एक मास के अन्दर-2 जमा करवाएगा।

सुमिता मिश्रा सिंह

निदेशक मैकेडरी शिक्षा हरियाणा

पृष्ठार्कन क्रमांक -सम- दिनांक :- 3-3-2001

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनाार्थ स्वी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 1- जिला शिक्षा अधिकारी सोनीपत को उनके पत्र यादी क्रमांक 101-1-2000/7168 दिनांक 30-6-2000 के संदर्भ में।
- 2- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, शिवानी।
- 3- अधीक्षक मैकेडरी शिक्षा/बान्णडा स्थानीय।
- 4- मुख्याध्यापक गाम्भूष्याल शिक्षा सदन बान्णडा सोनीपत

अधीक्षक के विद्यालय-1  
कृते: निदेशक मैकेडरी शिक्षा हरियाणा  
चण्डीगढ़

- Alushi

Principal  
S.D. School  
Khanpur (Sonapat)

आयतिय जिला शिक्षा अधिकारी सोनभद्र  
 जदिरा क्रमिक : सा-1-96 / 4791-20 दिनांक 22-12-26

विषय:- रतडी विद्यालय स्टाफ स्कूल, सोनभद्रा सोनभद्रा को माध्यमिक स्तर की स्टाफ मान्यता प्रदान करना।

रतडी विद्यालय स्टाफ स्कूल, सोनभद्रा सोनभद्रा को दिनांक 1-4-1996 से माध्यमिक स्तर की स्टाफ मान्यता देना।

- 1- विद्यालय के प्रबन्धक स्कूल अपने ही साधनों से यत्न करें तथा सरकार/विभाग से किता भी प्रकार के पद एवं अनुदान की मांग नहीं करें।
- 2- विद्यालय के प्रबन्धक विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा समय-2 पर जारी की गई हिदायतों की दृष्टता से पालना करें तथा एम्प्लॉयमेंट जोड की धारा 214 में निहित सभी हिदायतों/नियमों की पालना करें।
- 3- विद्यालय के प्रबन्धकों द्वारा भावो निपुणतियाँ विभाग/सरकार द्वारा जारी हिदायतों अनुसार तथा नियमानुसार की जायें तथा पूर्ण स्टाफ टेंड ही लगाना-जैसे।
- 4- स्टाफ की जी.पी.एस.सी. स्कीम को सरकार द्वारा हिदायतों अनुसार लागू किया जाए।
- 5- विद्यालय में प्रयोगशाला तथा लाइब्रेरी का अलग से उचित प्रबन्ध किया जाये।
- 6- विद्यालय के प्रबन्धक कर्मियों का देय भाग प्रत्येक वर्षी समय पर विभाग को नियमानुसार जमा करवायें।
- 7- विद्यालय के प्रबन्धकों द्वारा 54000/- रु में से केवल 25000/- रु के की राशि अधीह स्टाफारी के नाम प्लेज करवाई है। जबकि राशि स्टाफ के उः मात के वेतन के बराबर प्लेज करवाना होती है। अतः शेष राशि दो / तीन उः माही किरतों में जिला शिक्षा अधिकारी के नाम रहन करवायें। ऐसा न करने पर मान्यता स्वतः समाप्त हो जायगी।
- 8- यदि विद्यालय विभाग/सरकार/बोर्ड द्वारा जारी की गई हिदायतों की पालना नहीं करता तो मान्यता किसी भी समय रद्द हो जायगी।

पू० क्रमिक -सम- 1 सदर नि जोरिाक ।  
 जिला शिक्षा अधिकारी  
 सोनभद्रा

इसकी पूरा प्रति निम्नलिखित को भेजना एवं आवश्यक जगहों पर प्रेषित की जाती है:-

- 1- निदेशक, माध्यमिक शिक्षा हरियाणा, पण्डोग।
- 2- हरियाणा राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी।
- 3- सचिव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिमानो।
- 4- उपमण्डल शिक्षा अधिकारी, सोनभद्रा/गडिना/मन्वार।
- 5- प्रबन्धक/उपप्रबन्धक सुबानि विद्यालय।
- 6- विभाग अधिकारी/अडिस्ट रटिया।

Principal Sanyas  
 S.D. School, Suban Sr. Sec. School  
 Khanda (Sonbat) जिला शिक्षा अधिकारी  
 सोनभद्रा 22/12/96

OFFICE OF COMMISSIONER DIRECTOR GENERAL SCHOOL EDUCATION,  
HARYANA, CHANDIGARH

ORDER NO.30/ 76-07PS(3)

DATED, CHANDIGARH, THE, 8-12-2007

ORDER

In exercise of the powers conferred upon me under rule 34 (1) of Haryana School Education, Rules, 2003, sanction is hereby accorded to grant permanent recognition to Shambhu Dayal Shiksha Sadan Sr. Sec. School, Khanda(Sonepat), for Class 11<sup>th</sup> to 12<sup>th</sup> (Arts, Commerce & Science) under BOSE pattern with effect from 01.04.2007 run by Managing Committee, Prashar Shiksha Samiti, Khanda(Sonepat) under following terms and conditions:-

TERMS & CONDITIONS: -

1. The school shall follow the course of study as per syllabus prescribed by the affiliated board
2. The school shall charge fees and funds as declared to the appropriate authority at the time of application for recognition and display the same on the notice board of the school and shall not increase the fees during the any academic session. In case of change in the fee structure the school shall inform to the appropriate authority in the month of January for the next academic year and will also issue printed receipt of fees/funds to the students.
3. Salary shall be paid as per declaration at the time of seeking recognition
4. No capitation fee and other charges shall be charged from the children/parents
5. School shall be open for admission without any discrimination based on religion, caste, race, place of birth or any other whimsical
6. Managing Committee shall not allow to run two schools affiliated by different board/council in the same premises.
7. Managing Committee shall not close down the school or an existing class during the academic session without the prior approval of the appropriate authority
8. The school shall be open for inspection for the inspecting officer authorized by the Director/Appropriate Authority.
9. Recognition so granted shall be reviewed after every 10 years
10. No financial assistance shall be granted by the Department to the school
11. School premises shall not be used for commercial purpose and anti National activities
12. Approval of Managing Committee shall be obtained from the appropriate authority in case of any change in the committee.
13. The Managing Committee shall follow the instructions issued by Government/Director from time to time and supply the information to the Govt./ Department as required.
14. In addition to above the Managing Committee shall abide by the provisions of Haryana School Education Rules, 2003 and amendments if any thereafter. The Managing Committee shall be liable for disciplinary action in case of violation of any provisions of the rules
15. School will provide ramp within six months.

*Allesh*

*Shambhu*  
Principal  
S.D. Shiksha Sadan Sr. Sec. School  
Khanda (Sonepat)

ANAND SHARMA  
COMMISSIONER & DIRECTOR GENERAL SCHOOL  
EDUCATION HARYANA, CHANDIGARH

Endst. No. Even

Dated, Chandigarh, the 13-12-07

A copy is forwarded to the following for information and necessary action: -

1. Manager, Prashar Shiksha Samiti, Khanda(Sonepat)
2. District Education Officer Sonepat.
3. Secretary, Board of School Education, Bhiwani.
4. Principal, Shambhu Dayal Shiksha Sadan Sr. Sec. School, Khanda(Sonepat).
5. Additional Deputy Commissioner, Sonepat